

प्रो-फार्मा ४

(भविष्य निर्वाह निधि से अंतिम निष्कासन (Final Withdrawal) की स्वीकृत प्रदान करने के आदेश का प्रारूप)

कार्यालय ज्ञाप

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

1. एतद्वारा श्री/श्रीमती/कुमारी राजलक्ष्मी सिंह चन्देल, आर को उनके विवाह सामान्य भविष्य निधि खाता संख्या एन०जे०गू० 22741 से ₹ 20,00,000 रुपये (शब्दों में) ₹ 20,00,000 का अंतिम निष्कासन सामान्य भविष्य निधि (उ०प्र०) नियमावली, १९८५ के नियम संख्या 16(1)(A)(b) संघटित 17(1)(a) के अनुसार स्वीकार किया जाता है।

2. अंतिम निष्कासन की धनराशि श्री/श्रीमती/कुमारी राजलक्ष्मी सिंह चन्देल के उ महीने के वेतन अथवा निधि में जमा अवशेष के आधे/तीस चौथाई भाग से अधिक नहीं होगी। मूल नियमावली (फण्डामेंटल रूल) में यथापरिभाषित उनका मूल वेतन ₹ 57,700/- रु० है।

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी राजलक्ष्मी सिंह चन्देल ने दिनांक 06.08.2019 को अपनी सरकारी सेवा को पूरा बीस वर्ष पूरे कर लिये हैं, १० वर्ष में अधिवाषिकी पर सेवा निवृत्त होंगे/होंगी।

4. दिनांक 02.12.2019 को उपलब्ध कराये गये अभिलेख की स्थिति के अनुसार श्री/श्रीमती/कुमारी राजलक्ष्मी सिंह चन्देल के खाते में जमा अवशेष राशि का ब्योरा निम्न प्रकार है।

- (१) वर्ष 2018-19 की लेखा-पत्री/सामान्य भविष्य निधि पास बुक की विवरणिका के अनुसार जमा अवशेष की धनराशि रु० 43,21,078/-
- (२) माह मार्च, 19 से माह दिसम्बर 19 तक प्रतिमाह की दर से अभिदान रु० 1,75,000/-
- (३) माह से माह तक प्रतिमाह रु०
- की दर से अभिदान की वसूली रु० (क) रु०
- (४) मद (१), (२) तथा (३) का योग रु०
- (५) बाद में स्वीकृत अंतिम निष्कासन, यदि कोई हो रु० 44,96,078/-
- (६) स्वीकृत प्रदान करने की तिथि को अवशेष मद रु०
- (४) में से मद (५) मटाइये
- (क) वर्ष की लेखा-पत्री के परचात इस कार्यालय द्वारा श्री/श्रीमती/कुमारी को पिछली बार आदेश संख्या दिनांक द्वारा रु० का कोई अंतिम निष्कासन स्वीकार नहीं किया गया था।
- (ख) ज्ञात हुआ है कि श्री को (जैसा कि उन्होंने बताया) (स्वीकृत कर्ता) द्वारा पिछली बार अंशतः अंतिम निष्कासन के रूप में रु० की स्वीकृत प्रदान की गई थी।

दिनांक.....

सक्षम अधिकारी,
न्यायाधीश,
उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।